

संख्या 36012/22/93-रधतोरअनुजा0१

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

१ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में
अन्य फिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के संबंध में ।

मुझे, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से फिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के बारे में इस विभाग के दिनांक 13 अगस्त, 1990 तथा 25 सितम्बर, 1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/31/90-रधतोरअनुजा0१ का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि इंदिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले १1990 की रिट याचिका १सिविल१ संख्या 930१ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों में अन्य फिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षण के लाभ से सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों को शामिल न किए जाने के लिए मानदण्डों की सिफारिश के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की थी । समिति की रिपोर्ट मिलने पर सरकार ने इस समिति की सिफारिशों स्वीकार कर ली है ।

2. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में तथा विशेष समिति की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने पर, उपर्युक्त पैरा १1१ में उल्लिखित इस विभाग के दिनांक 13.8.90 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36.12/31/90-रधतोरअनुजा0१ में निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए एतद्वारा निम्न संशोधन किए जाते हैं :-

१क१ सिविल पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों का 27% सत्ताईस प्रतिशत१ जिसे भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है, अन्य फिछड़ी श्रेणियों के लिए आरक्षित होगा । आरक्षण लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि के बारे में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे ।

॥६॥ अन्य पिछड़ी श्रेणियों के ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य उम्मीदवारों के लिए नियत किए गए मानकों पर किसी छुली प्रतियोगिता में योंग्यता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं उन्हें 27% के आरक्षण कोटे में स्मायोजित नहीं किया जाएगा ।

॥७॥ उपर्युक्त आरक्षण इस कार्यालय स्थापन की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों पर लागू नहीं होगा ।

॥११॥ आरक्षण से बाहर रखने का नियम कारीगरों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों अथवा पंक्त व्यवसायों, पेशों आदि में लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा । ऐसे व्यवसायों, पेशों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएगी ।

॥८॥ पहले चरण में उपर्युक्त आरक्षण के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे जातियां तथा समुदाय होंगे जो मंडल आयोग की रिपोर्ट की सूचियों तथा राज्य सरकार की सूचियों दोनों में एक स्थान है । ऐसी जातियों तथा समुदायों की सूची कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जा रही है ।

॥९॥ उपर्युक्त आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । किन्तु ये उन रिक्तियों पर लागू नहीं होगा जहां भर्ती की प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने से पहले ही प्रारंभ कर दी गई है ।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी शामिल हैं, के बारे में इसी प्रकार के अनुदेश क्रमशः लोक उद्यम विभाग तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इस कार्यालय स्थापन के लागू होने की तारीख से जारी किए जाएंगे ।

सरिता प्रसाद

श्रीमती सरिता प्रसाद
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि:

॥१॥ लोक उद्यम विभाग,
नई दिल्ली ।

॥११॥ वित्त मंत्रालय
॥ बैंकिंग तथा बीमा प्रभाग ॥
नई दिल्ली ।

अनुरोध है कि इसी प्रकार के अनुदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा निगमों के बारे में भी जारी किए जाएं

श्रेणी	श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1	2	3
I.	संवैधानिक पद	<p>निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री §पुत्रियां§</p> <p>§क§ भारत के राष्ट्रपति ;</p> <p>§ख§ भारत के उपराष्ट्रपति</p> <p>§ग§ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश</p> <p>§घ§ संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ;</p> <p>भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ;</p> <p>§ड. § समान स्वरूप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति ।</p>
II.	सेवा की श्रेणी	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री §पुत्रियां§
क.	अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह के श्रेणी-। अधिकारी §सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त§	<p>§क§ जिनके माता-पिता, दोनों ही श्रेणी-। अधिकारी हैं ;</p> <p>§ख§ जिनके माता-पिता में से कोई एक श्रेणी-। अधिकारी हैं ;</p> <p>§ग§ जिनके माता-पिता में दोनों ही श्रेणी-। अधिकारी हैं, किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होत है ।</p>

॥घ॥ जिनके माता-पिता में से एक श्रेणी-1 अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी तारीख अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा ली हो।

॥ङ॥ जिनके माता पिता दोनों ही श्रेणी-2 के अधिकारी हैं तथा जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।

ब्रह्मते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा :-
निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री ॥यों॥

॥क॥ जिनके माता-पिता में कोई एक या दोनों श्रेणी-1 अधिकारी हैं, किन्तु उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है,

॥ख॥ अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह श्रेणी-1 अधिकारी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिए आवेदन देना चाहती है।

1.

2.

3.

ख. केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह ख श्रेणी ॥ के अधिकारी
॥सीधी भर्ती॥

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री ॥पुत्रियां॥

॥क॥ जिनके माता-पिता जो दोनों ही श्रेणी ॥ अधिकारी हैं ।

॥ख॥ जिनके माता-पिता में से केवल पति श्रेणी ॥ का अधिकारी है और वह 40 अथवा इससे पूर्व आयु में श्रेणी । अधिकारी बनता है ।

॥ग॥ जिनके माता पिता दोनों ही श्रेणी ॥ अधिकारी हैं और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो;

॥घ॥ जिनके माता पिता में से पति श्रेणी । अधिकारी हो ॥सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत॥ तथा पत्नी श्रेणी ॥ अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए; अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए, तथा

॥ड॥ जिनके माता-पिता में से पत्नी श्रेणी । अधिकारी हो ॥सीधी भर्ती से अथवा 40 से पूर्व पदोन्नत॥ एवं पति श्रेणी ॥ अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए ।

बताने कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:-

निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री ॥पुत्रियां॥

॥क॥ जिनके माता तथा पिता दोनों श्रेणी-॥ अधिकारी है किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है ।

॥ख॥ जिन्के माता तथा पिता दोनों श्रेणी-11 अधिकारी है तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अयोग्यता के शिकार हो जाते हैं, चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय युद्धा कोष विश्व बैंक जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए निष्पत्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो ।

॥ग॥ सार्वजनिक क्षेत्र के उपकुर्षों इत्यादि के कर्मचारी

इस श्रेणी में उपर्युक्त क तथा ख में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के उपकुर्षों, बैंकों, बीमा संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में सम्बन्ध अथवा तुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर-सरकारी निष्पत्ति के अन्तर्गत सम्बन्ध अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर बर्थावित परिवर्तन सहित लागू होगा । इन संस्थानों में सम्बन्ध अथवा तुल्य जाध पर पदों के मूल्यांकन तक, इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर निम्न श्रेणी 6 निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा ।

111. सशस्त्र सेनाएँ जिनमें अर्द्ध-सैनिक बल शामिल हैं ॥सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है॥ ।

उन माता पिता के पुत्र तथा पुत्री ॥पुत्रियाँ॥ जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सेना में कर्नल अथवा इससे ऊपर के स्तर पर तथा जलसेना तथा वायु सेना एव अर्द्ध सैनिक बलों में सम्बन्ध पदों पर कार्यरत हैं ।

॥1॥ यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र सेना ॥अर्थात् विचारार्थ श्रेणी में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर तक पहुँच जाएगी । अर्थात् कि:-

॥11॥ पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे के स्तर को इकट्ठा नहीं जोड़ा जाएगा ।

॥111॥ यहाँ तक कि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल निष्पत्ति में होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के बावजूद से इसे अर्द्ध नज़र नहीं रखा जाएगा जब तक कि वह अर्द्ध संख्या 11 के तहत सेवा की श्रेणी में न आ जाए।

व्यावसायिक श्रेणी तथा व्यापार और
उद्योग में जो हुए परिवर्तन

।। धिकित्तक, पकीम, माटेई
एकराईट, वायकर-मराभरी-
वाला, धिलीय तथा प्रबंध
समाहकार, धंत धिकित्तक,
वापिसा, वाकसुमार, कम्प्यूटर
विशेषज्ञ, धिकुम कलाकार तथा
अन्य व्यावसायिक जिनका व्यावसायिक
कामों में जुटा है, वेथ, नाटककार
लिखाही, कम संधार व्यवसायी
परिवार लिखाही, अथवा समानरतन
के अन्य व्यावसायिक; एवं

श्रेणी ७१ के लक्षण निर्दिष्ट
मानक लगे होंगा ।

12] आचार, आचार्य
तथा उद्योगों में लगे
आचार्य

श्रेणी ५५ के आगे वर्गीकृत तथा
आनकण्ड लागू होगा ।

विशेषाचार्य:-

I. यदि पति किसी व्यवसाय में
हो तथा पत्नी श्रेणी II अथवा
निम्न श्रेणी की नियुक्ति में हो
आय/सम्पत्ति का आकलन केवल
पति की आय के आधार पर
किया जाएगा ।

II. यदि पत्नी किसी व्यवसाय
में हो तथा पति श्रेणी II अथवा
निम्न श्रेणी की नियुक्ति में हो आय/
सम्पत्ति का आकलन केवल पत्नी की
आय के आधार पर होगा और पति
की आय में उसमें शामिल नहीं किया
जाएगा ।

अन्तिम धारक

0- कृषि क्षेत्र

एक ही परिवार [माता, पिता तथा
अन्यसक सदस्य] के पुरुष तथा पुरोहिणी

...

जो निम्नलिखित के स्वामी हैं:

[क] केवल लिखित भूमि के जो कानूनी सीमा के 85% क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक हैं, या

[ख] निम्नानुसार लिखित तथा

अलिखित दोनों प्रकार की भूमि:

अवर्जन नियम बर्दा लागू होगा जहाँ कि पूर्वनिर्धारित शर्त यह हो कि लिखित क्षेत्र जिसके कामना नाम के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो। अर्थात् लिखित क्षेत्र के लिए कानूनी ऊपरी सीमा का 40% या उससे अधिक हो। इसकी गणना अलिखित क्षेत्र को बाहर निकालकर की जाएगी। यदि यह 40% से कम नहीं होने की पूर्व निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल अलिखित क्षेत्र को ही दिला में लिया जाएगा। यह कार्य अलिखित भूमि को, विद्यमान विनियमन सूत्र के आधार पर लिखित प्रकार में बदलकर किया जाएगा। इस अलिखित क्षेत्र में से आंकलित लिखित

क्षेत्र को वास्तविक तिरचित क्षेत्र में जमा किया जाएगा और यदि इस तरह क्षेत्रों को जमा करने पर कुल तिरचित क्षेत्र, तिरचित क्षेत्र के लिए तय की गई कानूनी ऊपरी सीमा का 85% या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा ब्रेदखली कर दी जाएगी ।

11. यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णतः अतिरिचित क्षेत्र है तो अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा ।

ख. बागान

§ I. काफ़ी, चाय, रबड़ आदि

नीचे श्रेणी VI में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मापदण्ड लागू होगा ।

§ II. आम, खट्टे फल सेब के बाग आदि

इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाएगा और इसलिए इस श्रेणी पर उपरोक्त "क" मापदण्ड लागू होगा ।

ग. खाली भूमि और/या शहरी तथा उप-नगरीय क्षेत्रों में इमारतें

नीचे श्रेणी VI में निर्दिष्ट मापदण्ड लागू होगा :-

1

2

3

स्पष्टीकरण : भूजन का उपयोग रहने,
औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्य के
लिए किया जा सकता है या इस तरह
के दो या अधिक उद्देश्यों के लिए किया
जा सकता है ।

VI. आय/सम्पत्ति आंकलन

@ पति तथा पत्नी द्वारा

@

किसी व्यक्ति जिनकी
कुल वार्षिक आय एक लाख
रुपये या उससे अधिक हो
या जिनके पास पिछले तीन
वर्षों में लगातार सम्पत्ति
कर निगमावली में दी गई
सीमा से अधिक की सम्पत्ति
हो ।

§ 108 § श्रेणी I, II, III तथा V ए जो कि आरक्षण की सुविधा के हकदार नहीं है लेकिन जिन्हें सम्पत्ति के अन्य स्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर § 107 में दी गई आय/सम्पत्ति के मापदण्ड के भीतर आते हों ।

स्पष्टीकरण: § 108 वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा ।

§ 109 § रुपये के मूल्य परिवर्तन के सापेक्ष आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा । तथापि परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतरणावधि कम भी हो सकती है ।

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची में जहाँ कहीं भी "स्थायी अक्षमता" अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सके ।